हर इंसान-एक समान   एक राष्ट्र-एक जान   मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in   Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)
माननीय श्री अशोक कुमार सिंह संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)
माननीय श्री भागीरथ शर्मा संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
मो. 9414085447

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक 47422   दिनांक : 23.06.2020

मुख्यमंत्री कार्यालय (2) 23 JUN 2020 सम्बन्धित अधिकारी Home

श्रीमान अशोक गहलोत साहिब,
माननीय मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः– जातिगत आधार पर प्रशासनिक अधिकारों का दुरूपयोग करने वाले श्री रवि प्रकाश मेहरडा (आई.पी.एस.), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सिविल राइट्स, जयपुर के विरूद्ध सख्त विभागीय एवं दण्डात्मक कार्यवाही करने बाबत।

महोदय,

विनय पूर्वक निवेदन है कि हम आपका ध्यान श्री रवि प्रकाश मेहरडा (आई.पी.एस.), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सिविल राइट्स, जयपुर द्वारा दिनांक 29.05.2020 को जारी अविधिक परिपत्र क्र. प–1(21) सीबी/सीआरसी/परिपत्र/1821–63 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। **परिपत्र की प्रति अनुलग्नक–एक** के रूप में संलग्न है। श्री मेहरडा द्वारा जारी यह परिपत्र पूरी तरह अविधिक है; न्यायपालिका की अवमानना करने वाला; प्रदेश में जातिगत विद्वेष फैलाने वाला है; प्रदेश की निर्वाचित सरकार को अविधिक/जातिवादी/कमजोर/कायर साबित करने वाला है; तथा श्री मेहरडा की राजनैतिक महत्वकांक्षाओं व राजनैतिक ब्लैकमेलिंग की मानसिकताओं को उजागर करने वाला है। श्री मेहरडा द्वारा जारी उपरोक्त परिपत्र दिनांक 29.05.2020 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधीन **हर हाल में अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए निम्न लिखित अविधिक निर्देश दिये गये हैं** :–

1. श्री मेहरडा ने एट्रोसिटी एक्ट के अधीन हर हाल में अभियुक्त की गिरफ्तारी को अनिवार्य बताया है जबकि दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 41(1)(बी) में तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य के प्रकरण में (अपील संख्या 1277/2014) स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि **सात वर्ष तक की सजा वाले अपराधों में अभियुक्त को सामान्यतः गिरफ्तार नहीं किया जावे**। यदि गिरफ्तार करना जरूरी हो तो भी दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 41(1)(बी) में उल्लेखित शर्तों की विश्वसनीय प्रमाणों सहित पालना करने के बाद ही गिरफ्तार किया जावें। मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घण्टों में अभियुक्त को प्रस्तुत करते वक्त इन प्रमाणों के आधार पर धारा 41(1)(बी) की शर्तों की पालना युक्तियुक्त होने पर ही मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी को अनुमोदित कर सकेगा अन्यथा नहीं।

   इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एट्रोसिटी की झूठी एफ.आई.आर के अधीन किसी अभियुक्त को किसी भी सूरत में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यदि एफ.आई.आर सही है तो भी अभियुक्त केवल तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जबकि :–

   (अ) अभियुक्त द्वारा **सात वर्ष से अधिक की सजा वाला अपराध** किया गया हो, अथवा,

   (ब) अन्वेषण अधिकारी ने गिरफ्तारी को जरूरी बताने वाले कारणों को लिख दिया हो तथा सीआरपीसी की **धारा 41(1)(बी) में अंकित शर्तों की पालना प्रमाण सहित** कर दी हो।

   आपकी जानकारी के लिए उपरोक्त अर्नेश कुमार के निर्णय के जरूरी पैराग्राफ अनुलग्नक–दो में उल्लेखित किये गये हैं।

(लगातार–– 2)

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह
संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
मो. 9414085447

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक (2) दिनांक :

2. श्री मेहरडा द्वारा एट्रोसिटी एक्ट के अधीन दर्ज एफ.आई.आर. में अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ/अधिकार किसी भी सूरत में नहीं होना बताया गया है, सीआरपीसी की धारा 438 के प्रावधानों का एट्रोसिटी के मामलों में लागू नहीं होना बताया गया है। **श्री मेहरडा द्वारा दुराशय पूर्वक माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न निर्णयों में दिये गये बाध्यकारी निर्देशों को छिपाया गया है, अनदेखा किया गया है** :-

(i) डा0 सुभाष काशीनाथ विरूद्ध महाराष्ट्र सरकार एवं अन्य (2018) 6-एससीसी-454 के प्रकरण में दिये गये निर्णय दिनांक 20.03.2018 के पैरा 83(।।) के निर्देश,

(ii) उक्त प्रकरण की रिव्यु पिटीशन (सीआरएल) नम्बर 228/2018 भारत सरकार बनाम महाराष्ट्र सरकार के निर्णय दिनांक 01.10.2019 के पैरा-54, 57 एवं 67 के निर्देश,

(iii) पृथ्वीराज चौहान विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य (रीट पेटिशन (सी)1015/2018 में निर्णय दिनांक 10.02.2020 के पैरा संख्या 8, 10 व 11 के **निर्देशों को छिपाया है, तथा इनके विपरीत प्रभाव वाले निर्देश जारी किये हैं।**

उपरोक्त निर्णयों के सन्दर्भित पैराज आपके ताजा संदर्भ के लिए अनुलग्नक-दो में अंकित किये गये है।

3. इस एट्रोसिटी एक्ट की धारा 18ए, 20, 15 (क)(3) एवं सीआरपीसी की धारा 5 का उल्लेख करते हुये श्री मेहरडा द्वारा निर्देशित किया गया है कि दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 41(1)(बी) सहित इस संहिता का कोई भी प्रावधान एट्रोसिटी एक्ट पर लागू नहीं होता। श्री मेहरडा के ये निर्देश दुर्भाग्यपूर्ण हैं और प्रकटतः अविधिक हैं, असंवैधानिक हैं। एट्रोसिटी एक्ट की धारा 2(1)(बी), 2(1)(एफ), 9(1)(बी), 9(3) 17(2) और यहाँ तक कि स्वयं धारा 18(ए) में भी स्पष्ट उल्लेख है कि दण्ड प्रकिया संहिता के प्रावधान एट्रोसिटी एक्ट पर लागू होंगे।

4. श्री मेहरडा द्वारा दुराशय पूर्वक सीआरपीसी की धारा 41(ए) को भी बिना किसी आधार के ही एट्रोसिटी एक्ट पर लागू नहीं होना बताया गया है जबकि स्वयं धारा 18(ए) में ही दण्ड प्रकिया संहिता की प्रकिया अपनाने का उल्लेख किया गया है।

5. श्री मेहरडा ने जो जातिगत आधार पर पद का दुरूपयोग करते हुये परिपत्र दिनांक 29.05.2020 जारी किया है वह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अपराधा शाखा जयपुर द्वारा दिनांक 29.04.2020 को जारी परिपत्र क. व-15(ख)(23) राजकाज-02922/विधि/2014/3820-90 में दिये गये निर्देशों के विपरीत है। **परिपत्र की प्रति अनुलग्नक-तीन** के रूप में संलग्न है। अपराधा शाखा ने यह परिपत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार के प्रकरण में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जारी किया है। अपराध शाखा के इस परिपत्र की पालना सुनिश्चित होने से प्रदेश में पुलिस प्रशासन दुरूस्त होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उल्लेखित भ्रष्टाचार आदि सभी नकारात्मक बुराइयों पर लगाम लगेगी, राज्य सरकार की छवि न्यायप्रिय एवं समतावादी सरकार के रूप में उभरेगी। इसके विपरीत श्री मेहरडा द्वारा जारी परिपत्र जातिगत वैमनस्य बढाने वाला है, भ्रष्टाचार बढाने वाला है, ब्लैक मेलिंग बढाने वाला है, राज्य सरकार की छवि को धूमिल करने वाला है, मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व को कमजोर व लाचार दर्शाने वाला है।

(लगातार -- 3)

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरड़िया महासचिव, मो. 094140-58289

ललित चाचाण कोषाध्यक्ष, मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर ऋषिराज राठौड़ मो. 9694348039

अजमेर एन. के.झामड़ मो. 9414008416

बीकानेर वाई. के. योगी मो. 9414139621

भरतपुर हेमराज गोयल मो. 9460926850

जोधपुर प्रहलाद सिंह राठौड़ मो. 9414085447

कोटा डॉ. अनिल शर्मा मो. 9414662244

उदयपुर दूल्हा सिंह चूण्डावत मो. 9571875488

क्रमांक दिनांक :

इतने उच्च पदस्थ अधिकारी द्वारा जातिगत आधार पर पद का दुरूपयोग करके ऐसे झूठे, आधारहीन तर्कों के द्वारा सीआरपीसी को असम्बद्ध व प्रभावहीन बना कर यह प्रमाणित करने की कोशिश की जा रही है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री / गृहमंत्री उनका कुछ नहीं बिगाड सकता, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या कानून का राज आदि किसी का भी भय उन्हें खुलेआम अविधिक काम करने से नहीं रोक सकता। प्रकटतः श्री मेहरडा का उपरोक्त कृत्य जातिगत आधार पर पद व प्रशासनिक अधिकारों का दुरूपयोग है। न्यायपालिका की अवमानना है। संसद की अवमानना है। भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के अधीन अपराध है।

अतः उपरोक्तानुसार विधिक, न्यायिक एवं तथ्यात्मक स्थिति आपके समक्ष रखने के पश्चात हमारी प्रार्थना है कि :–

1. श्री मेहरडा द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प–1(21) सीबी / सीआरसी / परिपत्र / 1821–63 दिनांक 29.05.2020 को तत्काल वापिस लिया जावे।
2. श्री रवि प्रकाश मेहरडा के विरूद्ध सख्त विभागीय कार्यवाही करते हुये उपयुक्त दण्ड दिया जावे।
3. एक स्वतंत्र न्यायिक जांच बिठाकर श्री मेहरडा द्वारा अभी तक किये गये सभी अविधिक कार्यों की जांच करवाकर कार्यवाही की जावे।

त्वरित एवं सकारात्मक कार्यवाही की अपेक्षा में अग्रिम धन्यवाद। सादर,

भवदीय

अनुलग्नकः– उपरोक्तानुसार

पाराशर नारायण

प्रतिलिपिः– सभी माननीय विधायक गण को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पाराशर नारायण

Scanned with CamScanner

अनुलग्नक-ए

कार्यालय अति. महानिदेशक पुलिस, सिविल राईट्स एवं एन्टी ह्यूमन ट्रेफिकिंग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-प-1(21)सीगी/सीआरसी/परिपत्र/1891-93 दिनांक 29.5.2020

समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज/
पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर एवं
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त,
राजस्थान मय जी.आर.पी., अजमेर/जोधपुर।

परिपत्र

राज्य में अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार की घटनाओं पर नियंत्रण तथा अपराधियों पर दण्ड प्रक्रिया लागू करने हेतु पी.सी.आर. एक्ट 1955, अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 यथा संशोधित 2015 व 2018 तथा अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति नियम 1995 का प्रभावी कियान्वन करने हेतु समय-समय पर परिपत्र जारी कर निर्देशित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील संख्या 1277/14 अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य में यह दिशा-निर्देश जारी किये हैं कि "7 वर्ष या 7 वर्ष से कम जुर्माना सहित या रहित सजा में दण्डनीय संज्ञेय अपराध में आरोपी को गिरफ्तार नहीं करेंगे" तथा धारा 41(1)(बी), द0प्र0स0 के अनुसार भी 7 वर्ष तक की सजा वाले दण्डनीय अपराधों में जब तक आवश्यकता न हो गिरफ्तारी नहीं की जावेगी, का प्रावधान है। अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों की पत्रावलियां समय-समय पर तलब कर समीक्षा करवाने पर तथा जिलों से जानकारी करने पर यह सामने आया है कि अधिकांश प्रकरणों में आरोपियों के विरूद्ध जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर उन्हें द0प्र0स0 की धारा 41(ए) का लाभ दिया जा रहा है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम की भावना के विपरीत है तथा कमजोर वर्गों के हितों पर कुठाराघात है। अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम तथा द0प्र0स0 में निम्नांकित प्रावधान है :-

1. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 यथा संशोधित अधिनियम 2015 की धारा 18- अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता की धारा 438 का लागू न होना-** संहिता की धारा 438 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के किसी मामले के संबंध में लागू नहीं होगी अर्थात अधिनियम की इस धारा के तहत अपराधी को अग्रिम जमानत का लाभ प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है।

Scanned with CamScanner

2. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 18क– किसी जांच या अनुमोदन का आवश्यक न होना –**

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए–

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम इत्तला रिपोर्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए किसी प्रारम्भिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी, यदि आवश्यक हो, से पूर्व अन्वेषक अधिकारी को किसी अनुमोदन की आवश्यकता नही होगी,

जिसके विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का अभियोग लगाया गया है और इस अधिनियम या संहिता के अधीन उपबंधित प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

(2) किसी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश या निर्देश के होते हुए भी संहिता की धारा 438 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी मामले को लागू नही होंगे।

3. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 यथा संशोधित अधिनियम 2015 की धारा 20– अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना–** इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके, सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि या किसी रूढी या प्रथा या किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होगें अर्थात इस धारा के अनुसार इस अधिनियम के उपबन्ध अन्य विधियों पर अध्यारोही (Act to override other laws) होंगे तथा तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि या किसी रूढ़ी या प्रथा या किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभार रखने वाले किसी लिखित में उससे असंगत किसी बात के होते हुये भी प्रभावी होंगे।

4. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 यथा संशोधित अधिनियम 2018 धारा 15(क)(3)–**किसी पीड़ित या उसके आश्रित को, किसी न्यायालय की कार्यवाही की युक्तियुक्त, यथार्थ और समय से सूचना का अधिकार होगा जिसमें जमानत प्रकिया सम्मिलित है और विशेष लोक अभियोजक या राज्य सरकार पीड़ित को इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के बारे में सूचित करेगी अर्थात इस धारा के अनुसार जमानत की प्रक्रिया में प्रार्थी व लोक अभियोजक को न्यायालय द्वारा सुना जाना कानूनन आवश्यक है। धारा 41(1)(बी) द0प्र0स0 के प्रावधानों की पालना करने से इस धारा की पालना नहीं हो पायेगी।

5. **दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 5– "व्यावृति" –** इससे प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबन्ध के अभाव में इस संहिता की कोई बात तत्समय प्रवृत किसी विशेष या

Scanned with CamScanner

स्थानीय विधि पर या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति या उस विधि द्वारा विहित किसी विशेष प्रक्रिया पर प्रभाव नही डालेगी अर्थात इस धारा के तहत विशेष अधिनियमों पर इस संहिता का प्रभाव तब तक नहीं पड़ेगा जब तक कि उसमें इस बाबत कोई उपबन्ध नहीं हो।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी दिनांक 01 अक्टूबर 2019 को दिए गए निर्णय में अनुसूचित जाति/ अनु0जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 18ए में वर्णित प्रावधानों को सही माना है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) संशोधित अधिनियम 1989 यथा संशोधित अधिनियम 2018 में भारत सरकार द्वारा धारा 18ए जोड़ी जाकर राजपत्र में प्रकाशित की गई है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 यथा संशोधित अधिनियम 2018 के प्रावधानों धारा 18 व 18ए में जब इस अधिनियम के तहत आरोपित व्यक्ति को अग्रिम जमानत का अधिकार ही प्राप्त नहीं है ऐसी स्थिति में द0प्र0स0 की धारा 41(ए) के प्रावधान को लागू करके अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जाकर अधिकांश प्रकरणों में नोटिस देकर ही चालान प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की मूल भावना के विपरीत प्रकिया होगी। इसी प्रकार द0प्र0स0 की धारा 5 से भी स्पष्ट है कि संहिता के प्रावधान इस अधिनियम पर अध्यारोपित नहीं होंगे।

अतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रकरणों में अभियुक्त को द0प्र0स0 की धारा 41(ए) के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया जाये। उक्त आदेश की पालना अपने अधीनस्थ से सुनिश्चित करावें।

29/05/20

(डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा)
अति. महानिदेशक पुलिस,
सिविल राईट्स एवं एन्टी ह्यूमन ट्रेफिकिंग,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. अति0 महानिदेशक पुलिस, अपराध, राजस्थान, जयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, कार्मिक, राजस्थान, जयपुर।

29/05/20

अति. महानिदेशक पुलिस,
सिविल राईट्स एवं एन्टी ह्यूमन ट्रेफिकिंग,
राजस्थान, जयपुर।

Scanned with CamScanner

अनुलग्नक - दो-(i)

Supreme Court of India
Arnesh Kumar vs State Of Bihar & Anr on 2 July, 2014
Bench: Chandramauli Kr. Prasad, Pinaki Chandra Ghose

REPORTABLE

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION

CRIMINAL APPEAL NO. 1277 OF 2014
(@SPECIAL LEAVE PETITION (CRL.) No.9127 of 2013)

ARNESH KUMAR ..... APPELLANT

VERSUS

STATE OF BIHAR & ANR. .... RESPONDENTS

J U D G M E N T

Chandramauli Kr. Prasad The petitioner apprehends his arrest in a case under Section 498-A of the Indian Penal Code, 1860 (hereinafter called as IPC) and Section 4 of the Dowry Prohibition Act, 1961. The maximum sentence provided under Section 498-A IPC is imprisonment for a term which may extend to three years and fine whereas the maximum sentence provided under Section 4 of the Dowry Prohibition Act is two years and with fine.

Petitioner happens to be the husband of respondent no.2 Sweta Kiran. The marriage between them was solemnized on 1st July, 2007. His attempt to secure anticipatory bail has failed and hence he has knocked the door of this Court by way of this Special Leave Petition.

Leave granted.

In sum and substance, allegation levelled by the wife against the appellant is that demand of Rupees eight lacs, a maruti car, an air-conditioner, television set etc. was made by her mother-in-law and father-in-law and when this fact was brought to the appellants notice, he supported his mother and threatened to marry another woman. It has been alleged that she was driven out of the matrimonial home due to non-fulfilment of the demand of dowry.

Denying these allegations, the appellant preferred an application for anticipatory bail which was earlier rejected by the learned Sessions Judge and thereafter by the High Court.

There is phenomenal increase in matrimonial disputes in recent years. The institution of marriage is greatly revered in this country. Section 498-A of the IPC was introduced with avowed object to combat the menace of harassment to a woman at the hands of her husband and his relatives. The fact that Section 498-A is a cognizable and non-bailable offence has lent it a dubious place of pride amongst the provisions that are used as weapons rather than shield by disgruntled wives. The simplest way to harass is to get the husband and his relatives arrested under this provision. In a

(2) Where such a notice is issued to any person, it shall be the duty of that person to comply with the terms of the notice.

(3) Where such person complies and continues to comply with the notice, he shall not be arrested in respect of the offence referred to in the notice unless, for reasons to be recorded, the police officer is of the opinion that he ought to be arrested.

(4) Where such person, at any time, fails to comply with the terms of the notice or is unwilling to identify himself, the police officer may, subject to such orders as may have been passed by a competent Court in this behalf, arrest him for the offence mentioned in the notice. Aforesaid provision makes it clear that in all cases where the arrest of a person is not required under Section 41(1), Cr.PC, the police officer is required to issue notice directing the accused to appear before him at a specified place and time. Law obliges such an accused to appear before the police officer and it further mandates that if such an accused complies with the terms of notice he shall not be arrested, unless for reasons to be recorded, the police office is of the opinion that the arrest is necessary. At this stage also, the condition precedent for arrest as envisaged under Section 41 Cr.PC has to be complied and shall be subject to the same scrutiny by the Magistrate as aforesaid.

We are of the opinion that if the provisions of Section 41, Cr.PC which authorises the police officer to arrest an accused without an order from a Magistrate and without a warrant are scrupulously enforced, the wrong committed by the police officers intentionally or unwittingly would be reversed and the number of cases which come to the Court for grant of anticipatory bail will substantially reduce. We would like to emphasise that the practice of mechanically reproducing in the case diary all or most of the reasons contained in Section 41 Cr.PC for effecting arrest be discouraged and discontinued.

Our endeavour in this judgment is to ensure that police officers do not arrest accused unnecessarily and Magistrate do not authorise detention casually and mechanically. In order to ensure what we have observed above, we give the following direction:

All the State Governments to instruct its police officers not to automatically arrest when a case under Section 498-A of the IPC is registered but to satisfy themselves about the necessity for arrest under the parameters laid down above flowing from Section 41, Cr.PC;

All police officers be provided with a check list containing specified sub- clauses under Section 41(1)(b)(ii);

The police officer shall forward the check list duly filed and furnish the reasons and materials which necessitated the arrest, while forwarding/producing the accused before the Magistrate for further detention;

The Magistrate while authorising detention of the accused shall peruse the report furnished by the police officer in terms aforesaid and only after recording its satisfaction, the Magistrate will authorise detention;

The decision not to arrest an accused, be forwarded to the Magistrate within two weeks from the date of the institution of the case with a copy to the Magistrate which may be extended by the Superintendent of police of the district for the reasons to be recorded in writing;

Notice of appearance in terms of Section 41A of Cr.PC be served on the accused within two weeks from the date of institution of the case, which may be extended by the Superintendent of Police of the District for the reasons to be recorded in writing;

Failure to comply with the directions aforesaid shall apart from rendering the police officers concerned liable for departmental action, they shall also be liable to be punished for contempt of court to be instituted before High Court having territorial jurisdiction.

Authorising detention without recording reasons as aforesaid by the judicial Magistrate concerned shall be liable for departmental action by the appropriate High Court.

We hasten to add that the directions aforesaid shall not only apply to the cases under Section 498-A of the I.P.C. or Section 4 of the Dowry Prohibition Act, the case in hand, but also such cases where offence is punishable with imprisonment for a term which may be less than seven years or which may extend to seven years; whether with or without fine.

We direct that a copy of this judgment be forwarded to the Chief Secretaries as also the Director Generals of Police of all the State Governments and the Union Territories and the Registrar General of all the High Courts for onward transmission and ensuring its compliance.

By order dated 31st of October, 2013, this Court had granted provisional bail to the appellant on certain conditions. We make this order absolute.

In the result, we allow this appeal, making our aforesaid order dated 31st October, 2013 absolute; with the directions aforesaid.

J (CHANDRAMAULI KR. PRASAD) J (PINAKI CHANDRA GHOSE) NEW DELHI, July 2, 2014.

अनुलग्नक-दो-(iv)

REPORTABLE IN THE SUPREME COURT OF INDIA
INHERENT JURISDICTION

REVIEW PETITION (CRL.) NO.228 OF 2018
IN
CRIMINAL APPEAL NO.416 OF 2018

UNION OF INDIA .....PETITIONER

VERSUS

STATE OF MAHARASHTRA AND ORS. ....RESPONDENTS WITH

REVIEW PETITION (CRIMINAL) NO.275 OF 2018

IN

CRIMINAL APPEAL NO.416 OF 2018

J U D G M E N T

ARUN MISHRA, J.

..... Para: 54.

The guidelines in (iii) and (iv) appear to have been issued in view of the provisions contained in Section 18 of the Act of 1989; whereas adequate safeguards have been provided by a purposive interpretation by this Court in the case of State of M.P. v. R.K. Balothia, (1995) 3 SCC 42 221. The consistent view of this Court that if prima facie case has not been made out attracting the provisions of SC/ST Act of 1989, in that case, the bar created under section 18 on the grant of anticipatory bail is not attracted. Thus, misuse of the provisions of the Act is intended to be taken care of by the decision above. In Kartar Singh (supra), a Constitution Bench of this Court has laid down that taking away the said right of anticipatory bail would not amount to a violation of Article 21 of the Constitution of India. Thus, prima facie it appears that in the case of misuse of provisions, adequate safeguards are provided in the decision mentioned above.

(Cont... 2)

अनुलग्नक-दो-(IV)

.....Para: 57.

In case any person apprehends that he may be arrested, harassed and implicated falsely, he can approach the High Court for quashing the FIR under Section 482 as observed in State of Orissa v. Debendra Nath Padhi, (2005) 1 SCC 568

.... Para: 67.

We do not doubt that directions encroach upon the field reserved for the legislature and against the concept of protective discrimination in favour of downtrodden classes under Article 15(4) of the Constitution and also impermissible within the parameters laid down by this Court for exercise of powers under Article 142 of Constitution of India. Resultantly, we are of the considered opinion that direction Nos.(iii) and (iv) issued by this Court deserve to be and are hereby recalled and consequently we hold that direction No. (v), also vanishes. The review petitions are allowed to the extent mentioned above.

अनुलग्नक-दो-(VI)

REPORTABLE IN THE SUPREME COURT OF INDIA अनुलग्नक-दो (VI)

CIVIL ORIGINAL JURISDICTION

WRIT PETITION [C] NO. 1015 OF 2018

PRATHVI RAJ CHAUHAN ....PETITIONER(S)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. ....RESPONDENTS

WITH WRIT PETITION [C] NO. 1016 OF 2018

JUDGMENT

ARUN MISHRA, J.

.... Para: 8.

Concerning the provisions contained in section 18A, suffice it to observe that with respect to preliminary inquiry for registration of FIR, we have already recalled the general directions (iii) and (iv) issued in Dr. Subhash Kashinath's case (supra). A preliminary inquiry is permissible only in the circumstances as per the law laid down by a Constitution Bench of this Court in Lalita Kumari v. Government of U.P., (2014) 2 SCC 1, shall hold good as explained in the order passed by this Court in the review petitions on 1.10.2019 and the amended provisions of section 18A have to be interpreted accordingly.

.... Para: 10.

Concerning the applicability of provisions of section 438 Cr.PC, it shall not apply to the cases under Act of 1989. However, if the complaint does not make out a prima facie case for applicability of the provisions of the Act of 1989, the bar created by section 18 and 18A (i) shall not apply. We have clarified this aspect while deciding the review petitions.

.... Para: 11.

The court can, in exceptional cases, exercise power under section 482 Cr.PC for quashing the cases to prevent misuse of provisions on settled parameters, as already observed while deciding the review petitions. The legal position is clear, and no argument to the contrary has been raised.

कार्यालय अति. महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान

अनुलग्नक-3

क्रमांकः–व–15 (ख)(23)राजकाज–02922/विधि/2014/ 3820-90 दिनांकः 29-04-2020

परिपत्र

विषयः अरनेश कुमार बनाम बिहार सरकार के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में आपराधिक प्रकरणों में गिरफतारी हेतु धारा 41, 41–A CrPC की पालना के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रायः अनुसंधानाधिकारियों द्वारा ऐसे अपराध, जिसमें सात साल से कम सज़ा या सात साल तक की सज़ा का प्रावधान है, के प्रकरणों में आरोपी की गिरफतारी की स्वीकृति हेतु उच्च अधिकारियों के कार्यालय में पत्रावली प्रेषित करते समय मात्र धारा 41 सी.आर.पी.सी. के निम्न बिन्दु अंकित करते हुए पत्रावली प्रेषित कर दी जाती है:–

1. अनुसंधान से आरोपी के विरूद्व अपराध प्रमाणित पाया गया है।
2. अपराध का उचित अनुसंधान करने के लिए/स्त्रीधन बरामद करने आदि के लिए।
3. अपराध से संबंधित गवाहान को भय, उत्प्रेरणा, प्रलोभन द्वारा डराने, धमकाने से रोकने के लिए।
4. आरोपी की न्यायालय में उपस्थिती अनिवार्य करने के लिए।

सी.आर.पी.सी. में हुए संशोधन (अधिनियम 2009) के अनुसार उपरोक्त बिन्दु गिरफतारी के लिए अनिवार्य हैं, परन्तु उक्त कारणों की पुष्टि अनुसंधान में आई साक्ष्यों से भी होनी चाहिये। कई बार अनुसंधान अधिकारी द्वारा गवाहान के बयान व उक्त बिन्दुओं के समर्थन में पत्रावली में विश्वसनीय साक्ष्य एकत्रित नहीं किये जाते हैं एवं डायरी में भी उचित रूप से नोट अंकित नहीं किया जाता है। धारा 41 सी.आर.पी.सी. में हुए संशोधन एवं सी.आर.पी.सी. की नई धारा 41(क) जोड़ने के पीछे मूल भावना यही है कि केवल ऐसी परिस्थितियां, जो धारा 41 सी.आर.पी.सी. में अंकित हैं व अनुसंधान अधिकारी के पास पर्याप्त व ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध है कि उक्त परिस्थितियां विद्यमान है, में गिरफ्तारी की जा सकेगी। अनुसंधान में बाधा उत्पन्न न हो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए धारा 41(क) सी.आर.पी.सी. जोड़ी गई है जिसमें सम्बंधित आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित कर उससे अनुसंधान पूर्ण किया जाने का प्रावधान किया गया है। धारा 41(क) सी.आर.पी.सी. के उपबन्धों की अनुपालना में असफल रहने पर भी आरोपी को गिरफतार करने का प्रावधान है।

अतः सी.आर.पी.सी. में हुए संशोधन एवं अरनेश कुमार बनाम बिहार सरकार में दिनांक 2.7.2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यालय से पूर्व में इस सम्बंध में जारी समस्त निर्देशों के अतिक्रमण में निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं:–

(1) FIR दर्ज होने पर अनुसंधानाधिकारी बिना विलम्ब FIR में अंकित आरोप के संबंध में गहन अनुसंधान करेगा व समस्त सुसंगत साक्ष्य एकत्रित करेगा।

(2) अनुसंधान में एकत्रित साक्ष्य के आधार पर अनुसंधानाधिकारी सम्पूर्ण साक्ष्य का विश्लेषण करते हुये प्रत्येक आरोपी के सम्बध में सम्बंधित धाराओं में अपराध के प्रमाणित होने बाबत धाराओं के विवरण सहित केस डायरी में नोट अंकित करेगा।

Scanned with CamScanner

(3) उक्तानुसार केस डायरी में नोट अंकित करने के साथ–साथ अनुसंधानाधिकारी प्रत्येक आरोपी के संबंध में सलंग्न प्रारूप (check-list) में सूचना अनिवार्यतः भरेगा। यह प्रारूप (check-list) SHO द्वारा अनुसंधानाधिकारी को FIR दर्ज करते ही उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) यदि अनुसंधान से आरोपी के विरूद्ध जिन धाराओं का अपराध प्रमाणित है, उनमें–

a. अधिकतम सजा 7 वर्ष या उससे कम है, तथा

b. धारा 41(1)(b)(ii) CrPC में वर्णित 5 बिंदु, जो चैकलिस्ट के बिंदु सं0 6 में भी वर्णित हैं, बाबत् पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है,

तो अनुसंधानाधिकारी FIR दर्ज होने के 02 सप्ताह के भीतर आरोपी को धारा 41-A CrPC का नोटिस देगा, जिसकी एक प्रति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायालय को भी देगा। धारा 41-A CrPC के नोटिस का प्रारूप संलग्न है।

(5) यदि किन्ही कारणों से उक्तानुसार 02 सप्ताह के भीतर धारा 41-A CrPC का नोटिस आरोपी को नहीं दिया जाता व न्यायालय को सूचित नहीं किया जाता, तो अनुसंधानाधिकारी चैक लिस्ट के बिन्दु सं. 6(i)(ख) में इसका स्पष्ट उल्लेख करेगा। तत्पश्चात यह चैकलिस्ट पूर्ण कर संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त कार्यालय में पत्रावली भेजकर FIR दर्ज होने के 02 सप्ताह के भीतर धारा 41-A CrPC का नोटिस नहीं देने के संबंध में शिथिलता प्रदान की जाने की प्रार्थना कर स्वीकृति आदेश प्राप्त किया जावेगा। जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त द्वारा पत्रावली में देरी के कारणों की समीक्षा के आधार पर ही ऐसी स्वीकृति जारी की जाएगी। इसके पश्चात ही अनुसंधानाधिकारी आरोपी को 41-A CrPC का नोटिस देगा व एक प्रति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायालय को (मय संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त के शिथिलता प्रदान करने के आदेश के) देगा।

(6) यदि अनुसंधान से आरोपी के विरूद्ध जिन धाराओं का अपराध प्रमाणित है, उनमें–

a. अधिकतम सजा 7 वर्ष या उससे कम है, तथा

b. धारा 41(1)(b)(ii) CrPC में वर्णित 5 बिंदुओं में एक या अधिक या समस्त बिन्दुओं बाबत् पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर है,

तो अनुसंधानाधिकारी इसका स्पष्ट व विस्तार से उल्लेख चैकलिस्ट के बिन्दु सं. 6(ii) में करेगा।

यदि प्रकरण में विधि द्वारा/विभागीय आदेशों के अन्तर्गत गिरफ्तारी से पूर्व किसी सक्षम स्तर से स्वीकृति ली जानी है तो अनुसंधानाधिकारी उक्तानुसार चैकलिस्ट पूर्ण कर सक्षम स्तर को पत्रावली प्रेषित करेगा, जहां से अनुमति प्राप्त होने पर ही गिरफतारी की जाएगी।

(7) अनुसंधानाधिकारी आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते समय पत्रावली पूर्ण होना तथा केस डायरी के साथ सलंग्न प्रारूप में चैकलिस्ट पूर्ण होकर पत्रावली में शामिल होना भी सुनिश्चित करें जिससे न्यायालय द्वारा गिरफ्तार आरोपी के संबंध में अग्रिम आदेश दिया जा सके।

(8) उक्त चैकलिस्ट (एवं उचित प्रकरणों में 41-A CrPC का नोटिस) प्रत्येक आरोपी के लिए पृथक–पृथक तैयार किए जाएँगे।

(9) धारा 41-A CrPC के नोटिस की अनुपालना करने में यदि आरोपी असफल रहता है या आरोपी के उपस्थित होने के पश्चात अनुसंधान अधिकारी की राय बनती है कि आरोपी की गिरफ्तारी आवश्यक है, तो आवश्यकता के उचित कारणों को केस

Scanned with CamScanner

डायरी में प्रतिस्थापित करते हुये गिरफ्तारी की जा सकती है। ऐसे में भी चैक लिस्ट की पूर्ति करते हुये बिन्दु सं. 6(ii) में स्पष्ट आधार अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

(10) आरोपी व्यक्ति जब भी धारा 41-A CrPC के नोटिस की अनुपालना में अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा तो उसे उपस्थिति बाबत प्राप्ति रसीद दी जावेगी।

अतः प्रकरणों में आरोपी की गिरफतारी के संबंध में उक्तानुसार कार्रवाही सुनिश्चित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उक्त निर्देश Criminal Appeal No. 1277/2014 अरनेश कुमार बनाम बिहार सरकार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में जारी किए गए हैं। इन निर्देशों की अवहेलना किए जाने पर न केवल संबंधित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी, वह अधिकारी न्यायालय के आदेश की अवमानना की कार्रवाई का पात्र भी होगा।

समस्त अनुसंधान अधिकारियों को उक्त निर्देशों से अवगत कराएं तथा कुशल पर्यवेक्षण कर इनकी पालना सुनिश्चित करें।

29/4/2020

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(भगवान लाल सोनी)
अति. महानिदेशक पुलिस,
अपराध शाखा,
राजस्थान

प्रतिलिपि : निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है –

1. महानिदेशक पुलिस,प्रशासन एवं कानून–व्यवस्था, राजस्थान।
2. समस्त अति. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान पुलिस।
3. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर एवं समस्त रेंज महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
4. उप–महानिरीक्षक पुलिस (कार्मिक) को महानिदेशक पुलिस, राजस्थान को सूचित करने हेतु।
5. समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर एवं समस्त जिला पुलिस अधीक्षक राजस्थान मय जी.आर.पी., अजमेर/जोधपुर ।
6. समस्त पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा राजस्थान।
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. सीबी रेंज सैल, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर एवं बीकानेर।
8. समस्त प्रभारी, अन्वेषण अनुभाग, अपराध शाखा राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

29/4/2020

अति. महानिदेशक पुलिस,
अपराध शाखा,
राजस्थान

Scanned with CamScanner